[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड, उपखंड (i) के प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 12/2018-संघ राज्य क्षेत्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 सितंबर, 2018
,शक 1940

सा.का.नि. ______(अ.)- केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो अभिकर्ता नहीं है, जहां ऐसे प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा इसके माध्यम से अंत:संघ राज्यीय क्षेत्र (विधान सभा के बगैर) कराधेय प्रदायों के निवल मूल्य के आधे प्रतिशत की दर से परिकलित राशि का संग्रहण करेगा जहां ऐसे प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेअर द्वारा किया जाएगा।

2. यह अधिनियम 01 अक्तूबर, 2018 से प्रभावी होगा।

[फा.सं. एस.31011/25/2017-एसटी-।-डीओआर]

(राजेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार